रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1504] नई दिल्ली, शुक्रवार, मई 26, 2017/ज्ये"B 5, 1939
No. 1504] NEW DELHI, FRIDAY, MAY 26, 2017/JYAISTHA 5, 1939

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 मई, 2017

का.आ.1699(अ).—भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 3223 (अ), तारीख 23 नवम्बर, 2015, द्वारा उन सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना अंतर्विष्ट है, उपलब्ध करा दी गई थी, साठ दिन की अवधि के भीतर आक्षेप और सुझाव आमंत्रित करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण में एक प्रारुप अधिसूचना प्रकाशित की गई थी;

और, उक्त राजपत्र, जिसमें उक्त प्रारुप अधिसूचना अंतर्विष्ट है, की प्रतियां जनता को 23 नवम्बर, 2015 को उपलब्ध करा दी गई थी;

और, उक्त प्रारुप अधिसूचना के प्रत्युत्तर में व्यक्तियों और पणधारियों से कोई आक्षेप और सुझाव प्राप्त नहीं हुए थे;

और, पोचारम वन्यजीव अभयारण्य, तेलांगना के मेदक और निजामाबाद जिलों में 18.20° से 18.13° उत्तर अक्षांश तथा 78.36° से 78.29° पूर्व देशांतर के मध्य अवस्थित है और यह 130 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है;

और, *टरमिनालिया अर्जुना*, *टेक्टोना ग्रान्डिस*, *मधुका इंडिका*, *बुचानानिया लंजान*, *लनेनिया कोरोमन्डालिका*, *डिओसपिरोस क्लोरोक्ज़िलोन* और *रिटिया टिनटोरिया* क्षेत्र की प्रमुख वृक्ष प्रजातियाँ है ;

और, इस क्षेत्र में तेंदुआ, रीछ, बनैला सूअर, सांभर, चित्तीदार हिरण, सामान्य लोमड़ी, चौसींगा मृग, बनबिलार तथा जंगली कुत्ता आदि का आवास है;

और, पोचारम वन्यजीव अभयारण्य के चारों ओर के क्षेत्र को, जिसका विस्तार और सीमाएं पर्यावरण की दृष्टि से पारिस्थितिक संवेदी जोन के रूप में सुरक्षित और संरक्षित करना तथा उक्त पारिस्थितिक संवेदी जोन में उद्योगों या उद्योगों के वर्गो के प्रचालन तथा प्रसंस्करण करने को प्रतिषिद्ध करना आवश्यक है;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के नियम 5 के उपनियम (3) के साथ पठित पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (1), उपधारा (2) के खंड (v) और खंड (xiv) और उपधारा (3) के साथ पठित द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेलंगाना राज्य में पोचारम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से 5 किलोमीटर तक के विस्तारित क्षेत्र को पोचारम वन्यजीव अभयारण्य पारिस्थितिक संवेदी जोन (जिसे इसमें इसके पश्चात् पारिस्थितिक संवेदी जोन कहा गया है) के रूप में अधिसूचित करती है, जिसका विवरण निम्नानुसार है, अर्थात् :--

1. **पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार और उसकी सीमाएं**--(1) पारिस्थितिक संवेदी जोन 380.51 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में समाविष्ट तेलगांना के मेडक और निजामाबाद जिले और सम्मिलित 41 ग्राम तक विस्तारित क्षेत्र होगा ।

(2) पोचारम वन्यजीव अभयारण्य की सीमा से पांच किलोमीटर तक परिवर्तनीय पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तारित क्षेत्र होगा ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का वर्णन **उपाबंध I** के रुप में दिया गया है और ग्रामों की सूची **उपाबंध II** के रूप में दी गयी है ।

(4) अक्षांश और देशांतर सहित पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्र **उपाबंध III** के रूप में उपाबद्ध है ।

2. पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आंचलिक महायोजना –

(1) राज्य सरकार, पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए राजपत्र में अंतिम अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष की अवधि के भीतर, स्थानीय व्यक्तियों के परामर्श से और इस अधिसूचना में संलग्न अनुबंधों के सामंजस्य से आंचलिक महायोजना तैयार करेगी ।

(2) राज्य सरकार द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए आचंलिक महायोजना इस तरह, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट रूप तथा सुसंगत केंद्रीय और राज्य विधियों के सामंजस्य और केंद्रीय सरकार द्वारा जारी मार्गनिर्देशों, यदि कोई हों, द्वारा तैयार होगी ।

(3) आंचलिक महायोजना, पर्यावरणीय और पारिस्थितिक विचारों को समाकलित करने के लिए राज्य सरकार के सभी संबद्ध विभागों के परामर्श से तैयार होगी, अर्थात्:--

(i) पर्यावरण;
(ii) वन और वन्यजीव;
(iii) कृषि और बागवानी;
(iv) राजस्व;
(v) शहरी विकास;
(vi) पर्यटन सहित पर्यावरण पर्यटन;
(vii) ग्रामीण विकास;

(viii) सिंचाई और बाढ़ नियंत्रण;

(ix) नगरपालिका और शहरी विकास;

(x) पंचायती राज;

(xi) लोक निर्माण विभाग।

(4) आंचलिक महायोजना अनुमोदित विद्यमान भू-उपयोग, अवसंरचना और क्रियाकलापों पर कोई निर्बंधन अधिरोपित नहीं करेगी जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो और आचंलिक महायोजना सभी अवसंरचना और क्रियाकलापों में और अधिक दक्षता और पारिस्थितिक अनुकूलता का संवर्धन करेगी ।

(5) आंचलिक महायोजना में अनाच्छादित क्षेत्रों के जीर्णोद्धार, विद्यमान जल निकायों के संरक्षण, आवाह क्षेत्रों के प्रबंधन, जल-संभरों के प्रबंधन, भूतल जल के प्रबंधन, मृदा और नमी संरक्षण, स्थानीय समुदायों की आवश्यकताओं तथा पारिस्थितिक और पर्यावरण से संबंधित ऐसे अन्य पहलूओं, जिन पर ध्यान देना आवश्यक है, के लिए उपबंध होंगे ।

(6) आंचलिक महायोजना सभी विद्यमान पूजा स्थलों, ग्रामों और नगरीय बंदोबस्तों, वनों के प्रकार और किस्मों, कृषि क्षेत्रों, ऊपजाऊ भूमि, हरित क्षेत्र जैसे उद्यान और उसी प्रकार के स्थान, उद्यान कृषि क्षेत्र, फलोउद्यान, झीलों और अन्य जल निकायों का अभ्यकंन करेगी और इस योजना के मानचित्र द्वारा विद्यमान और प्रस्तावित भूमि के उपयोग का विवरण किया जाएगा ।

(7) आंचलिक महायोजना स्थानीय समुदायों की जीवकोपार्जन को सुनिश्चित करने के लिए, पारिस्थितिक संवेदी जोन में विकास को पारिस्थितिक अनुकूल विकास के लिए विनियमित करेगी ।

(8) आंचलिक महायोजना क्षेत्रीय विकास योजना के साथ सह-अंतक होगी ।

(9) आंचलिक महायोजना इस अधिसूचना में दिए गए उपबंधों के संबंध में अपने कार्यों के बाहर ले जाने के लिए निगरानी समिति के लिए एक संदर्भ दस्तावेज तैयार करेगी ।

3. **राज्य सरकार द्वारा किए जाने वाले उपाय--** राज्य सरकार इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए निम्नलिखित उपाय करेगी, अर्थात्:--

(1) **भू-उपयोग – (क)** पारिस्थितिक संवेदी जोन में वनों, उद्यान-कृषि क्षेत्रों, कृषि क्षेत्रों, आमोद-प्रमोद के प्रयोजन के लिए चिन्हित किए गए पार्कों और खुले स्थानों का वाणिज्यिक और औद्योगिक संबद्ध विकास क्रियाकलापों के लिए उपयोग या संपरिवर्तन नहीं होगा:

परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कृषि भूमि का संपरिवर्तन निगरानी समिति की सिफारिश पर और राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम के तहत सक्षम प्राधिकारी के पूर्व अनुमोदन के साथ और राज्य सरकार के अन्य नियमों और विनियमों के रूप में लागू होंगे, जो स्थानीय निवासियों की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के लिए है, जैसे:-

(i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना और नई सड़कों का संनिर्माण;

(ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण;

(iii) प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग;

(iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुविधाओं सहायक पारिस्थितिक पर्यटन में सम्मिलित गृह वास; और

(v) संवर्धित क्रियाकलाप और अनुच्छेद 4 के अंतर्गत दिया गया है:

परंतु यह और भी कि क्षेत्रीय नगर योजना अधिनियम और अन्य नियमों और विनियमों के अंतर्गत राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन तथा संविधान के अनुच्छेद 244 और तत्समय प्रवृत्त विधि के उपबंधों के अनुपालन के बिना, जिसके अंतर्गत अनुसूचित जनजाति और अन्य परंपरागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम, 2006 (2007 का 2) भी है, वाणिज्यिक या उद्योग विकास क्रियाकलापों के लिए जनजातीय भूमि का उपयोग अनुज्ञात नहीं होगा:

परंतु यह और भी कि पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर भू-अभिलेखों में उपसंजात कोई त्रुटि, निगरानी समिति के विचार अभिप्राप्त करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा प्रत्येक मामले में एक बार संशोधित होगी और उक्त त्रुटि के संशोधन की सूचना केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को देनी होगी ।

परंतु यह और भी कि उपर्युक्त त्रुटि का संशोधन में इस उप पैरा के अधीन यथा उपबंधित के सिवाय किसी भी दशा में भू-उपयोग का परिवर्तन सम्मिलित नहीं होगा ।

(ख) यह और भी कि जिससे हरित क्षेत्र में जैसे वन क्षेत्र, कृषि क्षेत्र आदि में कोई पारिणामिक कटौती नहीं होगी और अनप्रयुक्त या अनुत्पादक कृषि क्षेत्रों में पुन: वनीकरण करने के प्रयास किए जाएंगे ।

(2) **प्राकृतिक जल स्रोत** -- आचंलिक महायोजना में सभी प्राकृतिक जल स्रोतों, नदियों, चैनलों की पहचान की जाएगी और उनके संरक्षण और पुनरुद्भूतकरण के लिए योजना सम्मिलित होगी।

(3) **पर्यटन/ पारिस्थितिक-पर्यटन –** (क) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नये पारिस्थितिक पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप या वर्तमान पर्यटन सम्बंधी क्रियाकलापों का विस्तार पारिस्थितिक संवेदी जोन के लिए पर्यटन महायोजना के अनुसार होंगे।

(ख) पारिस्थितिक पर्यटन महायोजना राज्य पर्यटन विभाग द्वारा राज्य पर्यावरण और वन विभाग के परामर्श से तैयार होगी ।

(ग) पर्यटन महायोजना आंचलिक महायोजना के एक घटक के रूप में जाना जायेगा ।

(घ) पर्यटन संबंधी क्रियाकलाप निम्नलिखित के अधीन विनियमित होंगे, अर्थात् :-

(i) पारिस्थितिक अनुकूल पर्यटन क्रियाकलाप से संबंधित पर्यटकों के अस्थायी अधिभोग के लिए वास सुविधा के सिवाय संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक इनमें जो भी निकट है, नये वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात नहीं होंगे। तथापि, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना के अनुसार होगा;

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर सभी नए पर्यटन क्रियाकलापों या विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों का विस्तार केंद्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के मार्गदर्शक सिद्धांतों के द्वारा तथा राष्ट्रीय व्याघ्र संरक्षण प्राधिकरण, द्वारा जारी पारिस्थितिक पर्यटन (समय-समय पर यथा संशोधित) मार्गदर्शक सिद्धांतों के अनुसार, पारिस्थितिक पर्यटन, पारिस्थितिक शिक्षा और पारिस्थितिक विकास को महत्व देते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन की वहन क्षमता के अध्ययन पर आधारित होगा;

(iii) आंचलिक महायोजना का अनुमोदन किए जाने तक, पर्यटन के लिए विकास और विद्यमान पर्यटन क्रियाकलापों के विस्तार को वास्तविक स्थल विनिर्दिष्ट संवीक्षा तथा निगरानी समिति की सिफारिश पर आधारित संबंधित विनियामक प्राधिकरणों द्वारा अनुज्ञात किया होगा ।

(4) **नैसर्गिक विरासत --** पारिस्थितिक संवेदी जोन में महत्वपूर्ण नैसर्गिक विरासत के सभी स्थलों जैसे सभी जीन कोश आरक्षित क्षेत्र, शैल विरचनाएं, जल प्रपातों, झरनों, घाटी मार्गों, उपवनों, गुफाओं, स्थलों, भ्रमण, अश्वरोहण, प्रपातो आदि की पहचान की जाएगी और विरासत संरक्षण योजना को आंचलिक महायोजना के भाग रुप में उनका परिरक्षण और संरक्षण किया जाएगा ।

(5) **मानव निर्मित विरासत स्थल -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में भवनों, संरचनाओं, शिल्प-तथ्य, ऐतिहासिक, कलात्मक और सांस्कृतिक महत्व के क्षेत्रों की पहचान करनी होगी और उनके संरक्षण की योजनाएं तैयार करनी होगी तथा आंचलिक महायोजना में सम्मिलित की जाएगी ।

(6) **ध्वनि प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में ध्वनि प्रदूषण के निवारण और नियंत्रण को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के अधीन ध्वनि प्रदूषण (विनियमन और नियंत्रण) नियम, 2000 के अनुसार कार्यान्वित किया जायेगा ।

(7) **वायु प्रदूषण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में, वायु प्रदूषण के निवारण एवं नियंत्रण को वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम, 1981 (1981 का 14) के अनुसार कार्यान्वित किया जायेगा और उसके अधीन नियम बनाए जायेंगे ।

(8) **बहिस्राव का निस्सारण** -- पारिस्थितिक संवेदी जोन में उपचारित बहिस्राव का निस्सारण सामान्य मानकों के लिए पर्यावरणीय प्रदूषित आच्छादित के निस्सारण के अंतर्गत पर्यावरणीय (संरक्षण) अधिनियम, 1986 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों के अनुसार होगा।

(9) **ठोस अपशिष्ट** -- ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा--

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्टों का निपटान और प्रबंधन समय-समय पर संशोधित ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016, जो भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1357(अ), तारीख 8 अप्रैल, 2016 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ;

अकार्बनिक तत्व को पर्यावरणीय स्वीकार्य रीति से पारिस्थितिक संवेदी जोन के बाहर पहचान किये गये स्थल पर निपटान किया जायेगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट का दहन या भस्मीकरण और भराई के स्थापन को अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(10) **जैव चिकित्सीय अपशिष्ट**.-जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंधन निम्नलिखित रूप में होगा—

(क) पारिस्थितिक संवेदी जोन में जैव चिकित्सीय अपशिष्टों का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 343 (अ), तारीख 28 मार्च 2016 द्वारा प्रकाशित जैव चिकित्सीय अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा ।

(ख) पारिस्थितिक संवेदी जोन में कोई सामान्य उपचार सुविधा या जलाया जाना अनुज्ञात नहीं किया जाएगा ।

(11) **प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 340(अ), तारीख 18 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंध नियम 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(12) **निर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंधन: -** पारिस्थितिक संवेदी जोन में संनिर्माण और विध्वंस अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की अधिसूचना सं.का.नि 317(अ), तारीख 29 मार्च, 2016 द्वारा प्रकाशित संनिर्माण और विध्वंस प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(13) **ई–अपशिष्ट:-** पारिस्थितिक संवेदी जोन में ई–अपशिष्ट प्रबंध का निपटान भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रकाशित ई–अपशिष्ट प्रबंध नियम, 2016 के उपबंधों के अनुसार किया जाएगा।

(14) **यानीय परिवहन: -** परिवहन की यानीय गतिविधियां आवास के अनुकूल विनियमित होंगी और इस संबंध में आंचलिक महायोजना में विशेष उपबंध अधिकथित किए जाएंगे और आंचलिक महायोजना के तैयार होने और राज्य सरकार के सक्षम प्राधिकारी द्वारा के अनुमोदित होने तक, मानीटरी समिति प्रवृत्त नियमों और विनियमों के अनुसार यानीय गतिविधियों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(15) **यानीय प्रदूषण:-** लागू विधियों के अनुसार वाहन प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण का अनुपालन किया जाएगा। स्वच्छक ईंधन के उपयोग के लिए किए गए प्रयास उदाहरण के लिए सीएनजी, एलपीजी, आदि हैं ।

(16)**औद्योगिक ईकाइयां: -** (i) सरकारी राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन के बाद या प्रकाशन में, पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर कोई नए प्रदूषित उद्योगों की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ii) पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर- प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो। इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।

(17) **पहाड़ी ढलानों को संरक्षण: -** पहाड़ी ढलानों के संरक्षण के अंतर्गत:

(क) आंचलिक महायोजना पहाड़ी ढलानों पर क्षेत्रों का संकेत होगा जहां किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

(ख) कटाव के एक उच्च डिग्री के साथ विद्यमान खड़ी पहाड़ी ढलानों या ढलानों पर किसी भी संनिर्माण की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

4. पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रतिषिद्ध और विनियमित किए जाने वाले क्रियाकलापों की सूची - पारिस्थितिक संवेदी जोन में सभी क्रियाकलाप पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) के उपबंधों और तटीय विनियमन जोन (सीआरजेड), 2011 और पर्यावरणीय प्रभाव आकलन (ईआईए) अधिसूचना, 2006 और वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 के 69), भारतीय वन अधिनियम, 1927 (1927 के 16), वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 के 53) संशोधनों सहित द्वारा शासित होंगे और नीचे दी गई तालिका में विनिर्दिष्ट रीति में विनियमित होंगे, अर्थात् :--

सारणी

क्रम सं.	क्रियाकलाप	टीका-टिप्पणी
(1)	(2)	(3)
	क. प्रतिषिद्ध क्रियाकलाप	
1.	वाणिज्यिक खनन, पत्थर की खदान और उनको तोड़ने की इकाइयां ।	(क) सभी प्रकार के नए और विद्यमान खनन (लघु और वृहत खनिज), पत्थर की खानें और उनको तोड़ने की इकाइयां वास्तविक स्थानीय निवासियों की घरेलू आवश्यकताओं जिसमें निजी उपयोग के लिए मकानों के संनिर्माण या मरम्मत के लिए धरती को खोदना और मकान बनाने के लिए देशी टाइल्स या ईंटों का निर्माण करना भी सम्मिलित है, के सिवाय नहीं होंगी ; (ख) खनन संक्रियाएं, माननीय उच्चतम न्यायालय की रिट याचिका (सिविल) सं. 1995 का 202 टी.एन. गौडाबर्मन थिरुमूलपाद बनाम भारत सरकार के मामले में आदेश तारीख 4 अगस्त, 2006 और रिट याचिका (सी) सं. 2012 का 435 गोवा फाउंडेशन बनाम भारत सरकार के मामले में तारीख 2 अप्रैल, 2014 के अंतरिम आदेश के अनुसरण में सर्वदा प्रचालन होगा ।
2.	जल या वायु या मृदा या ध्वनि प्रदूषण कारित करने वाले उद्योगों की स्थापना ।	कोई नई या पारिस्थितिक संवेदी जोन में प्रदूषण फैलाने वाले उद्योगों के विस्तार की अनुमति दी जाएगी। पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो ।
3.	बृहत जल विद्युत परियोजना की स्थापन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
4.	किसी परिसंकटमय पदार्थों का उपयोग या उत्पादन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
5.	प्राकृतिक जल निकायों या भूमि क्षेत्र में अनुपचारित प्रवाह के निर्वहन ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
6.	ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल की स्थापना और सामान्य जलाए जाने की सुविधा के लिए ठोस और जैव चिकित्सा अपशिष्ट।	पारिस्थितिक संवेदी जोन में ठोस अपशिष्ट निपटान की कोई नई ठोस अपशिष्ट निपटान स्थल और अपशिष्ट उपचारित/प्रसंस्करण सुविधा की अनुमति नहीं है । औद्योगिक प्रक्रिया और स्वास्थ्य प्रतिष्ठान/अस्पतालों आदि से उत्पन्न किसी भी ठोस अपशिष्ट के उपचारित के लिए सामान्य या व्यक्तिगत जलावतरण की सुविधा का अधिकतर प्रतिषिद्ध है ।
7.	फर्मों, कॉर्पोरेट, कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर वाणिज्यिक पशुधन संपदा और कुक्कुट फार्मों की स्थापना ।	स्थानीय जरूरतों को पूरा करने के लिए लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे।
8.	नई आरा मिलों की स्थापना।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के भीतर नई और विद्यमान आरा

		मिलों का विस्तार अनुज्ञात नहीं होगा ।
9.	ईंट भट्टों की स्थापना करना।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
10.	प्लास्टिक के थैलों का उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
11.	जलावन लकड़ियों का वाणिज्यिक उपयोग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
12.	नए काष्ठ आधारित उद्योग ।	लागू विधियों के अनुसार प्रतिषिद्ध (अन्यथा उपबंधित के सिवाय) होंगे ।
ख. विनियमित क्रियाकलाप		
13.	होटलों और रिसोर्टों की स्थापना ।	पारिस्थितिक पर्यटन क्रियाकलापों संबंधी पर्यटकों की लघु संरचनाओं के लिए संरक्षित क्षेत्र की सीमा से एक किलोमीटर तक या पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक, इनमें जो भी निकट है, नए वाणिज्यिक होटल और रिसोर्ट अनुज्ञात होंगे, अन्यथा नहीं । परंतु, जहाँ पारिस्थितिक संवेदी जोन का विस्तार एक किलोमीटर से ज्यादा है वहाँ, एक किलोमीटर से परे और पारिस्थितिक संवेदी जोन के विस्तार तक सभी नए पर्यटक क्रियाकलाप या विद्यमान क्रियाकलाप का विस्तार पर्यटन महायोजना और यथा लागू मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरुप होगा।
14.	संनिर्माण क्रियाकलाप ।	(क) संरक्षित क्षेत्र या पारिस्थितिक संवेदी जोन जो भी निकट हो, की सीमा से एक किलोमीटर के भीतर किसी भी प्रकार का वाणिज्यिक संनिर्माण अनुज्ञात नहीं किया जाएगा: परंतु स्थानीय लोगों को पैरा 6 के उप पैरा (1) में सूचीबद्ध क्रियाकलापों सहित उनके आवासीय उपयोग के लिए उनकी भूमि में संनिर्माण करने की अनुमति भवन उपविधियों के अनुसार दी जाएगी । (i) विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना तथा नई सड़कों का संनिर्माण; (ii) बुनियादी ढांचों और नागरिक सुविधाओं का संनिर्माण और नवीकरण; (iii) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण; (iv) कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण उद्योग हैं; सुविधाजनक भण्डार और स्थानीय सुख सुविधाओं जो पारिस्थितिक पर्यटन जिस में सहायक हो ग्रह वास; और

		(v) इस अधिसूचना में संवर्धित क्रियाकलापों की सूची : (ख) परन्तु यह और कि ऐसे लघु उद्योगों जो प्रदूषण उत्पन्न नहीं करते हैं, से संबंधित संनिर्माण क्रियाकलाप विनियमित किए जाएंगे और लागू नियमों और विनियमों, यदि कोई हों, के अनुसार सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से ही न्यूनतम पर रखे जाएंगे । (ग) एक किलोमीटर से आगे आंचलिक महायोजना की अनुसार विनियमित होंगे ।
15.	प्रदूषण उत्पन्न न करने वाले लघु उद्योग ।	पारिस्थितिक संवेदी जोन के केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों में फरवरी, 2016 के भीतर सिर्फ गैर-प्रदूषित उद्योगों की स्थापना के वर्गीकरण की अनुमति दी जाएगी, जब तक कि इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट न हो । इसके अलावा, गैर-प्रदूषित कुटीर उद्योगों को प्रतिषिद्ध किया जाएगा।
16.	वृक्षों की कटाई ।	(क) राज्य सरकार में सक्षम प्राधिकारी की पूर्व अनुमति के बिना वन, सरकारी या राजस्व या निजी भूमि पर या वनों में किंही वृक्षों की कटाई नहीं होगी । (ख) वृक्षों की कटाई संबंधित केंद्रीय या राज्य अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंध के अनुसार विनियमित होगी ।
17.	वन उत्पादों और गैर काष्ठ वन उत्पादों का संग्रहण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
18.	विद्युत केबलों और दूरसंचार टावरों का परिनिर्माण और केबल बिछाना और अन्य बुनियादी ढांचे ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे । भूमिगत केबल को बढ़ावा दिया जाएगा।
19.	नागरिक सुविधाओं सहित बुनियादी ढांचे।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
20.	विद्यमान सड़कों को चौड़ा करना और उन्हें सुदृढ करना ।	लागू विधियों के अनुसार न्यूनीकरण की उपायों के साथ, नियम और विनियमन और उपलब्ध दिशानिर्देश विनियमित होंगे।
21.	पर्यटन से संबंधित क्रियाकलाप जैसे गर्म वायु गुब्बारें, हेलीकाप्टर, ड्रोन, माइक्रोलाइटस और अन्य पर्यटन क्रियाकलाप आदि द्वारा पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र के ऊपर से उड़ना जैसे क्रियाकलाप करना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।
22.	पहाड़ी ढालों और नदी तटों का संरक्षण ।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे ।

23.	रात्रि में यानिक यातायात का संचलन।	लागू विधियों के अधीन वाणिज्यिक प्रयोजन के लिए विनियमित होंगे।
24.	स्थानीय समुदायों द्वारा चल रही कृषि और बागवानी प्रथाओं के साथ पशुपालन, पशुपालन कृषि और मछली पालन।	स्थानीय लोगों के उपयोग के लिए लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
25.	प्राकृतिक जल निकायों या सतही क्षेत्र में उपचारित बहिर्स्राव का निस्सारण।	उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण को प्रोत्साहित करने और अवमल या ठोस अपशिष्टों के निपटान के लिए विद्यमान विनियमों का अनुपालन किया जाएगा। अन्यथा लागू विधियों के अधीन उपचारित बहिर्स्राव के पुनर्चक्रण/प्रवाह के निर्वहन को विनियमित किया जाएगा।
26.	सतह और भूजल के वाणिज्यिक निष्कर्षण।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
27.	खुले कुआ, बोर कुआ, आदि के लिए कृषि और अन्य उपयोग।	विनियमित और उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा क्रियाकलापों की सख्ती से मानीटरी की जाएगी।
28.	ठोस अपशिष्ट प्रबंधन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
29.	विदेशी प्रजातियों को लाना।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
30.	पारिस्थितिक पर्यटन।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
31.	वाणिज्यिक साइनबोर्ड और होर्डिंग।	लागू विधियों के अधीन विनियमित होंगे।
	ग. संवर्धित क्रियाकलाप	
32.	वर्षा जल संचयन।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
33.	जैविक खेती।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
34.	सभी गतिविधियों के लिए हरित प्रौद्योगिकी को ग्रहण करना।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
35.	कुटीर उद्योगों जिसके अंतर्गत ग्रामीण कारीगर आदि भी हैं।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
36.	नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत का उपयोग।	जैव गैस, सौर प्रकाश आदि को बढ़ावा देना होगा।
37.	कृषि वानिकी।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
38.	पारिस्थितिक अनुकूल परिवहन का उपयोग।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
39.	कौशल विकास।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
40.	निम्नीकृत भूमि या वन या आवास की बहाली।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।
41.	पर्यावरणीय जागरुकता।	सक्रिय रूप से बढ़ावा दिया जाएगा।

5. मानीटरी समिति.- (1) केंद्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम,1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) इस प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए पारिस्थितिक संवेदी जोन के प्रभावी मानीटरी तीन वर्ष की अवधि के लिए एक मानीटरी समिति गठित करती है जो निम्नलिखित से मिलकर बनेगी, अर्थात् :-

(क) जिला कलेक्टर, निजामाबाद - अध्यक्ष ;

(ख) जिला कलेक्टर का प्रतिनिधि, मेडक – सदस्य ;

(ग) पर्यावरण के क्षेत्र में कार्य करने वाले गैर सरकारी संगठनों (जिसके अंतर्गत विरासत संरक्षण भी है) का प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए तेलंगाना राज्य सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट एक प्रतिनिधि – सदस्य ;

(घ) तेलंगाना सरकार द्वारा नामनिर्दिष्ट पारिस्थितिक और पर्यावरण क्षेत्र प्रत्येक मामले में तीन वर्ष की अवधि के लिए एक विशेषज्ञ - सदस्य;

(ङ) प्रादेशिक अधिकारी, राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, - सदस्य;

(च) नगर नियोजक/मुख्य शहर योजना/ क्षेत्र का जयेष्ठ शहर नियोजक – सदस्य;

(छ) प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी (क्षेत्रीय), मेडक– सदस्य ;

(ज) प्रभागीय वन्यजीव अधिकारी (क्षेत्रीय), निजामाबाद – सदस्य ;

(झ) राज्य जैव विविधता बोर्ड का सदस्य - सदस्य ;

(ढ) प्रभागीय वन अधिकारी, वन्यजीव प्रबंध, मेडक और जिला वन्यजीव वार्डन मेडक – सदस्य-सचिव ।

6. निर्देश का निबंधन

(1) मानीटरी समिति का कार्यकाल तीन वर्ष का होगा ।

(2) पारिस्थितिक संवेदी जोन समिति इस अधिसूचना के उपबंधों के अनुपालन को मानीटर करेगी ।

(3) पारिस्थितिक संवेदी जोन में भारत सरकार के तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अनुसूची के अधीन सम्मिलित क्रियाकलापों और इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन प्रतिषिद्ध गतिविधियों के सिवाय आने वाले ऐसे क्रियाकलापों की दशा में वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उक्त अधिसूचना के उपबंधों के अधीन पूर्व पर्यावरण निकासी के लिए केन्द्रीय सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को निर्दिष्ट की जाएगी ।

(4) इस अधिसूचना के पैरा 4 के अधीन यथा-विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध क्रियाकलापों के सिवाय, भारत सरकार के पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 की अधिसूचना के अनुसूची के अधीन ऐसे क्रियाकलापों, जिन्हें सम्मिलित नहीं किया गया है, परंतु पारिस्थितिक संवेदी जोन में आते हैं, ऐसे क्रियाकलापों की वास्तविक विनिर्दिष्ट स्थलीय दशाओं पर आधारित मानीटरी समिति द्वारा संवीक्षा की जाएगी और उसे संबद्ध विनियामक प्राधिकरणों को निर्दिष्ट किया जाएगा ।

(5) मानीटरी समिति का सदस्य-सचिव या संबद्ध कलक्टर या संबंधित मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) ऐसे व्यक्ति के विरूद्ध, जो इस अधिसूचना के किसी उपबंध का उल्लंघन करता है, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन परिवाद फाइल करने के लिए सक्षम होगा ।

(6) मानीटरी समिति मुद्दों के आधार पर अपेक्षाओं पर निर्भर रहते हुए संबद्ध विभागों के प्रतिनिधियों या विशेषज्ञों, औद्योगिक संगमों या संबद्ध पणधारियों के प्रतिनिधियों को अपने विचार-विमर्श में सहायता के लिए आमंत्रित कर सकेगी ।

(7) मानीटरी समिति प्रत्येक वर्ष की 31 मार्च तक राज्य के मुख्य वन्यजीव वार्डन को अपनी वार्षिक कार्रवाई रिपोर्ट **उपाबंध IV** में उपबंधित रूप में उक्त वर्ष के 30 जून तक प्रस्तुत करेगी ।

(8) केन्द्रीय सरकार का पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय मानीटरी समिति को अपने कृत्यों के प्रभावी निर्वहन के लिए समय-समय पर ऐसे निदेश दे सकेगा, जो वह ठीक समझे ।

6. इस अधिसूचना के उपबंधों को प्रभावी बनाने के लिए केंद्रीय सरकार और राज्य सरकार अतिरिक्त उपाय, यदि कोई हों, विनिर्दिष्ट कर सकेंगी ।

7. इस अधिसूचना के उपबंध भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय या राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण द्वारा पारित कोई आदेश या पारित होने वाले किसी आदेश, यदि कोई हों, के अधीन होंगे ।

[फा. सं. 25/60/2014-ईएसजेड]

ललित कपूर, वैज्ञानिक 'जी'

उपाबंध-I

पारिस्थितिक संवेदी जोन क्षेत्र की सीमा का विवरण:

ए से बी: पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा मोथे ग्राम सीमा के लींगामपेट मंडल के जिला निजामाबाद से आरंभ होकर बिन्दु 'ए' से स्टेशन 1 से आरंभ होकर उत्तर-पश्चिम भू-भाग के साथ अक्षांश-देशांतर 18.31718 – 78.16117 में और यह पूर्वी दिशा की ओर आती है और मोथे टैंक की उत्तरी सतह को छूती हुई, इसके बाद यह स्टेशन सं. 2 एवं 3 से होकर आगे बढ़ती है और सीमा स्टेशन सं. 4 एवं 5 के साथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ती है, इसके बाद यह पेद्दा देमी की ग्राम सीमा को छूती है, इसके बाद यह स्टेशन सं. 7 एवं 8 के साथ दक्षिण-पूर्व दिशा की ओर जाती है, यह सेररापहाड़, नंदीवाडा ग्राम की सीमा रेखा के साथ दक्षिणी सतह स्टेशन सं. 9,10,11 एवं 12 की ओर जाती है और बंदीवाडा और चीतयल ग्राम के जैव-संगम पहुँचती है, इसके बाद यह स्टेशन 13 और 14 के साथ पूर्वी दिशा में जाती है और स्टेशन 15 के साथ चीतयब की ग्राम सीमा की दक्षिणी दिशा की और मुड़ती है और स्टेशन सं. 16 पहुँचती है जो की चीतयल, संताईपेट, अरगोंडा ग्रामों का तिराहे बिन्दु है । इसके बाद यह पूर्वी दिशा से होते हुए स्टेशन सं. 17, 18, 19 की ओर जाती है और ताडमाडला और अरगोंडा जैव-संगम के स्टेशन से 20 पहुँचती है इसके बाद यह पेडडाईपली-ताजमाइला ग्राम की सीमा रेखा के साथ पूर्वी दिशा की ओर जाती है और बिन्दु 'बी' पर ताडमाइला के सीवर ग्राम के स्टेशन सं. पहुँचती है ।

बी से सी: स्टेशन सं. 22 के बिन्दु से – बी, जोन सीमा रेखा आरंभ होकर दक्षिणी दिशा की ओर जाती है जो कि रेलवे ट्रैक अवशेष के समीप के समांतर 500 मीटर की दूरी से रेलवे ट्रैक है और यह दक्षिणी दिशा के साथ स्टेशन सं. 23,24,25,26 एवं 27 को जोड़ती हुई जाती है और तीप्पापुर ग्राम सीमा के स्टेशन सं. 28 में मिलती है और यह भीकनूर के रिजर्व वन को जोड़ती है और दुबारा यह रिजर्व वन से होते हुए दक्षिणी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन 29 में मिलती है जो निजामाबाद और मेदक जिला की जिला सीमा है । स्टेशन सं. 29 से जोन मेडक जिला के कटरीयल के ग्राम सीमा के साथ आरंभ होकर दक्षिणी दिशा के स्टेशन सं. 30 एवं 31 को जोड़ती है और इसके अतिरिक्त स्टेशन सं. 31 से- सीमा रेखा आरंभ होकर लक्ष्मापुर की ग्राम सीमा पूर्वी दिशा की ओर जाती है और दक्षिणी दिशा से मुड़ती हुई स्टेशन सं. 33 एवं 34 को जोड़ती है जो बिन्दु-'सी' है और यह लक्ष्मापुर और शमनापुर ग्राम का द्वि-संगम बिन्दु है ।

सी से डी: स्टेशन सं. 34 के बिन्दु सी से- सीमा रेखा शमनापुर के ग्राम के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती हुई स्टेशन सं. 35, 36 को जोड़ती है, इसके बाद यह जरा सी दक्षिण-पश्चिम दिशा की ओर मुड़ती है और यह मेडक रामायमपेट पी. डब्ल्यू. डी. सड़क को पार करके और यह स्टेशन सं. 38 से मिलती है और इसके अतिरिक्त यह साथ में औरंगाबाद और मदुलवाई की ग्राम सीमा की ओर जाती है ओर स्टेशन सं. 39 एवं 40 को जोड़ती है, इसके बाद यह कुचानपली ग्राम की ग्राम सीमा रेखा के साथ स्टेशन सं. 40, 41 को जोड़ती हुई और स्टेशन सं. 42 पहुँचती है जो कुचानपली के टैंक में स्थित है, इसके अतिरिक्त स्टेशन सं. 42 से –रेखा कुचानपली, फरीदपुर और सारदाना ग्राम सीमा के साथ पश्चिमी दिशा की ओर जाती है और स्टेशन सं. 43 से – रेखा पसुपुलेरु वगु से होते हुए स्टेशन सं. 44, 45, 46, 47 को जोड़ती जाती है और मेडक- जिला सीमा निजामाबाद के बिंदु- डी पहुँचती है।

डी से ए: स्टेशन सं. 47 के बिंदु- 'डी' से-रेखा नगीरेडेपेट मंडल के बदल पर थे, पोचारम की ग्राम सीमा के साथ उत्तरी दिशा की ओर टेढे-मेढे ढंग में स्टेशन सं. 48 से 57 को जोड़ती हुई, रेखा आर. एफ. ब्लॉक पोलकामपेट में स्टेशन 58 को छूती है, यह पोलकामपेट, कन्नापुर और पोथाईपल्ली की ग्राम सीमा के साथ पोलकामपेट और रामाईपल्ली रिजर्व वन खंड से होते हुए उत्तरी दिशा में टेढे-मेढे ढंग से 59 से 63 की ओर जाती है। इसके बाद यह उत्तरी दिशा में टेढ़े-मेढ़े ढंग में स्टेशन सं. 63 से 65 की ओर जाती है और स्टेशन सं. 64 और 65 के बीच येलारेड्डी से कामारेड्डी की पी. डब्ल्यू. डी सड़क पार करके और यह येलारेड्डी रिजर्व वन को छूती है और इसके अतिरिक्त स्टेशन सं 66 से 72 की ओर जाती है और अंततः यह लींगमपल्ली, येलआरम और मोथे की ग्राम सीमा के साथ मोथे ग्राम के बिंदु 'ए' के स्टेशन सं. 1 पहुँचती है।

उपाबंध-II

पारिस्थितिक संवेदी जोन के अंतर्गत आने वाले ग्रामों की सूची

क्र. सं.	ग्रामों के नाम	मंडल	जिला	अक्षांश	देशांतर
1	मोथे	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.31718	78.16117
2	पेद्दादेमी	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.32503	78.21225
3	येर्रापहाड़	तदवाई	निजामाबाद	18.29285	78.21945
4	नन्दीवाडा	तदवाई	निजामाबाद	18.27661	78.21398
5	छितयाल	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.25878	78.25007
6	सांथैपेट	तदवाई	निजामाबाद	18.23826	78.24616
7	अरगोंडा	तदवाई	निजामाबाद	18.22977	78.28092
8	पेद्दौपल्ली	बिखनुर	निजामाबाद	18.23498	78.32584
9	तालामदला	बिखनुर	निजामाबाद	18.22698	78.35394
10	तिप्पापुर	बिखनुर	निजामाबाद	18.19468	78.36467
11	दन्तेपल्ली	रामयामपीट	मेदक	18.18578	78.33110
12	परवातापुर	रामयामपीट	मेदक	18.15073	78.32715
13	कटरियाल	रामयामपीट	मेदक	18.15023	78.35109
14	गंगापुर	रामयामपीट	मेदक	18.12507	78.32162
15	लक्ष्मापुर	मेदक	मेदक	18.12955	78.36373

16	शमनापुर	मेदक	मेदक	18.10824	78.31720
17	बथोले	मेदक	मेदक	18.12008	78.29287
18	लिंगसानपल्ली	मेदक	मेदक	18.11103	78.28218
19	टिम्माईपल्ली	मेदक	मेदक	18.12159	78.28275
20	नागपुर	मेदक	मेदक	18.12526	78.26101
21	सुल्तानपुर	मेदक	मेदक	18.11394	78.25297
22	औरंगाबाद	मेदक	मेदक	18.07822	78.27004
23	टोगिता	मेदक	मेदक	18.07657	78.24816
24	मदुलवाई	मेदक	मेदक	18.06838	78.24526
25	देवान कुचनपल्ली	मेदक	मेदक	18.07216	78.23279
26	सरदाना	मेदक	मेदक	18.08376	78.17729
27	जक्कान्नापिट	मेदक	मेदक	18.10051	78.19386
28	पोचारम	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.11559	78.16962
29	वादालपरथी	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.13914	78.15426
30	वादी	मेदक	मेदक	18.15422	78.21683
31	राजपिट	मेदक	मेदक	18.15091	78.18984
32	बुरुगुपल्ली	मेदक	मेदक	18.13915	78.21670
33	कोथापल्ली	मेदक	मेदक	18.16562	78.17202
34	सिद्दापुर	तदवाई	निजामाबाद	18.16488	78.24160
35	गुन्दारम	तदवाई	निजामाबाद	18.17156	78.25141
36	कोन्दापुरम	तदवाई	निजामाबाद	18.19167	78.27931
37	पोचारम	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.11559	78.16962
38	वादालपारथी	नगिरेद्दीपीट	निजामाबाद	18.13914	78.15426
39	पोलकामपेट	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.17687	78.16328
40	कन्नापुर	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.19591	78.16245
41	पोटाईपल्ली	लिंगामपीट	निजामाबाद	18.22887	78.18184

उपाबंध-III

अक्षांश और देशांतर के साथ पारिस्थितिक संवेदी जोन की सीमा का मानचित्

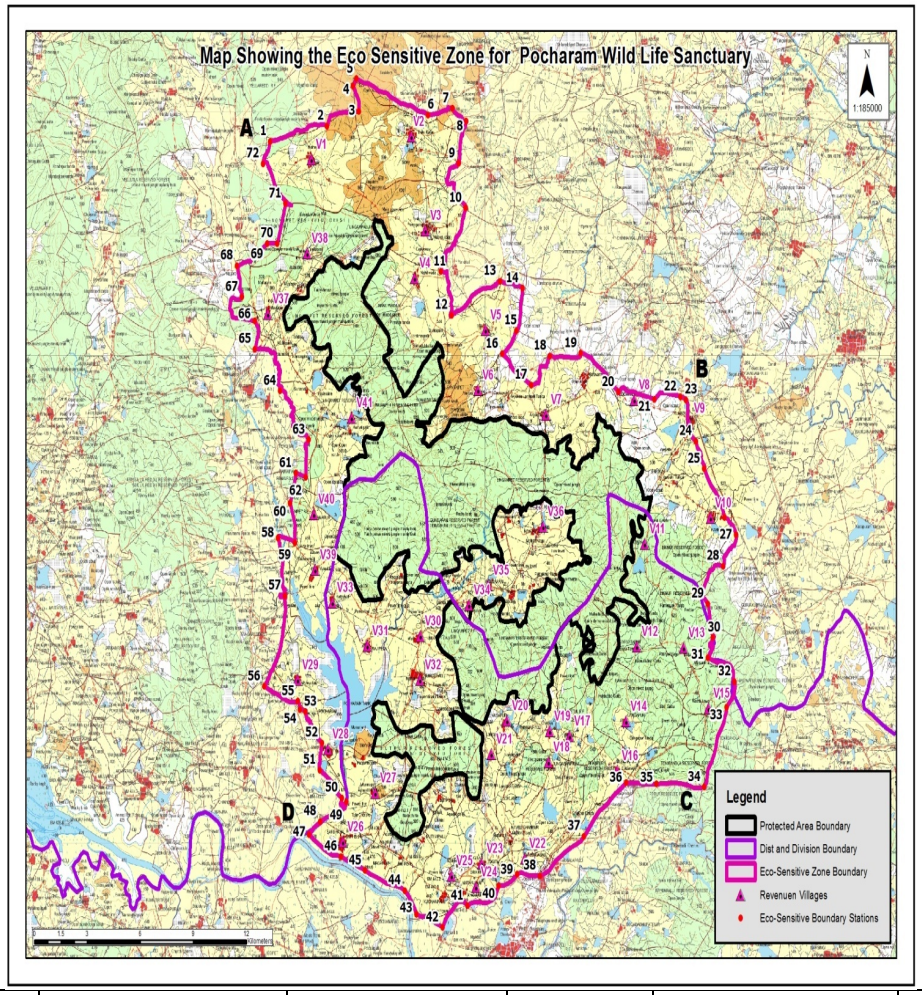

क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर	क्र. सं.	अक्षांश	देशांतर
1	18.32329	78.14046	49	18.09758	78.17935
2	18.32859	78.16960	50	18.09892	78.17709
3	18.33357	78.18575	51	18.10843	78.16582
4	18.34231	78.18275	52	18.11774	78.16699
5	18.34471	78.18462	53	18.12835	78.15863
6	18.33243	78.22112	54	18.12898	78.15588
7	18.33463	78.23356	55	18.13197	78.15482
8	18.33030	78.24060	56	18.13708	78.13752
9	18.31582	78.23673	57	18.16800	78.14813
10	18.30061	78.24020	58	18.18790	78.14458

11	18.27888	78.22767	59	18.18613	78.15320
12	18.26390	78.23312	60	18.19964	78.15064
13	18.27560	78.25776	61	18.20996	78.15364
14	18.27309	78.26917	62	18.20860	78.15871
15	18.25870	78.26615	63	18.22136	78.16032
16	18.25071	78.25883	64	18.23806	78.14555
17	18.24001	78.27361	65	18.25235	78.13284
18	18.24999	78.28328	66	18.26201	78.13274
19	18.25096	78.29890	67	18.27021	78.12610
20	18.23760	78.31798	68	18.28085	78.12367
21	18.23519	78.33652	69	18.28838	78.13898
22	18.23450	78.36218	70	18.28850	78.14407
23	18.22866	78.37097	71	18.30212	78.14841
24	18.21229	78.36559	72	18.31573	78.13703
25	18.21505	78.37837			
26	18.20630	78.38699			
27	18.19212	78.37945			
28	18.17812	78.37142			
29	18.16527	78.36372			
30	18.15379	78.36621			
31	18.14684	78.36362			
32	18.13861	78.37730			
33	18.12995	78.37313			
34	18.10257	78.36186			
35	18.10379	78.33758			
36	18.10408	78.32197			
37	18.08587	78.30062			
38	18.07231	78.27814			
39	18.07282	78.26649			
40	18.06890	78.25706			
41	18.06209	78.24107			
42	18.05462	78.22836			
43	18.05908	78.21513			

44	18.06720	78.20924			
45	18.07413	78.18906			
46	18.07885	78.17661			
47	18.08632	78.16050			
48	18.09091	78.16613			

उपाबंध-IV

पारिस्थितिक संवेदी जोन मानीटरी समिति - की गई कार्रवाई की रिपोर्ट का रूप विधान

1. बैठकों की संख्या और तिथि ।
2. बैठकों का कार्यवृत : कृपया मुख्य उल्लेखनीय बिंदुओं का वर्णन करें । बैठक के कार्यवृत्त को एक पृथक अनुबंध में उपाबद्ध करें ।
3. आंचलिक महायोजना की तैयारी की प्रास्थिति जिसके अंतर्गत पर्यटन महायोजना।
4. भू-अभिलेख में सदृश्य त्रुटियों के सुधार के लिए ब्यौहार किए गए मामलों का सारांश ।
5. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
6. पर्यावरण समाघात निर्धारण अधिसूचना, 2006 के अधीन न आने वाली गतिविधियों की संविक्षा के मामलों का सारांश । ब्यौरे एक पृथक् उपाबंध के रूप में उपाबद्ध किए जा सकते हैं ।
7. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 की धारा 19 के अधीन दर्ज की गई शिकायतों का सारांश ।
8. कोई अन्य महत्वपूर्ण विषय ।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, 26th May, 2017

S.O. 1699(E).—WHEREAS, a draft notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification of the Government of the India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change number S.O. 3223 (E), dated the 23rd November, 2015, inviting objections and suggestions from all persons likely to be affected thereby within a period of sixty days from the date on which copies of the Gazette containing the said notification were made available to the public;

AND WHEREAS, copies of the Gazette containing the said draft notification were made available to the public on 23rd November, 2015;

AND WHEREAS, no objections and suggestions were received from persons and stakeholders in response to the draft notification;

AND WHEREAS, Pocharam Wildlife Sanctuary is situated in the Medak and Nizamabad Districts of the State of Telangana between 18.20º to 18.13º North latitude and between 78.36º to 78.29º East longitude and is spread over an area of 130 square kilometre;

AND WHEREAS, the major tree species of the area are *Terminalia arjuna, Tectona grandis, Madhuca indica, Buchanania lanzan, Lannea coromandelica, Diospyros chloroxylon* and *Wrightia tinctoria*;

AND WHEREAS, the area harbours Panther, Sloth Bear, Wild Boar, Sambhar, Spotted Deer, Common fox, Four horned antelope, Jungle cat and Wild Dog;

AND WHEREAS, it lines become necessary to specify certain areas are around the Pocharam Wildlife Sanctuary as Eco-sensitive Zone and to prohibit industries, operations or processes or class of industries, operations or processes in the said Eco-sensitive Zone.

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) read with clause (v) and clauses (xiv) of sub–section (2) and sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) read with sub-rule (3) of rule 5 of the Environment (Protection) Rules, 1986, the Central Government hereby notifies an area to an extent varying up to five kilometer from the boundary of the protected area of Pocharam Wildlife Sanctuary in the State of Telangana, as the Pocharam Wildlife Sanctuary Eco-sensitive Zone (hereinafter referred to as the Eco-sensitive Zone) details of which are as under, namely:-

1. Extent and boundary of Eco-sensitive Zone.-(1) The Eco-sensitive Zone is spread over an area of 380.51 square kilometers in the Nizamabad and Medak Districts of the State of Telangana and includes 41 villages.

(2) The extent of Eco-sensitive Zone varies up to five kilometers from the boundary of Pocharam Wildlife Sanctuary.

(3) The boundary description of the Eco-sensitive Zone is appended as **Annexure I** and the list of villages is given in **Annexure-II.**

(4) The map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes is appended as **Annexure III.**

2. Zonal Master Plan for Eco-sensitive Zone.- (1) The State Government shall, for the purpose of the Eco-sensitive Zone prepare, a Zonal Master Plan, within a period of two years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, in consultation with local people and adhering to the stipulations given in this notification for approval of Competent Authority in the State Government.

(2) The Zonal Master Plan for the Eco-sensitive Zone shall be prepared by the State Government in such manner as is specified in this notification and also in consonance with the relevant Central and State laws and the guidelines issued by the Central Government, if any.

(3) The Zonal Master Plan shall be prepared in consultation with the following State Departments, for integrating the ecological and environmental considerations into the said Plan:-

(i) Environment;
(ii) Forest and Wildlife;
(iii) Agriculture and Horticulture;
(iv) Revenue;
(v) Urban Development;
(vi) Tourism including Eco-tourism;
(vii) Rural Development;
(viii) Irrigation and Flood Control;
(ix) Municipal and Urban Development;
(x) Panchayati Raj;
(xi) Public Works Department.

(4) The Zonal Master Plan shall not impose any restriction on the approved existing land use, infrastructure and activities, unless so specified in this notification and the Zonal Master Plan shall factor in improvement of all infrastructure and activities to be more efficient and Eco-friendly.

(5) The Zonal Master Plan shall provide for restoration of denuded and degraded areas, conservation of existing water bodies, management of catchment areas, watershed management, groundwater management, soil and moisture conservation, needs of local community and such other aspects of the ecology and environment that need attention.

(6) The Zonal Master Plan shall demarcate all the existing worshipping places, villages and urban settlements, types and kinds of forests, agricultural areas, fertile lands, green area, such as, parks and like places, horticultural areas, orchards, lakes and other water bodies with supporting maps and the Plan shall be supported by maps giving details of existing and proposed land use features.

(7) The Zonal Master Plan shall regulate development in the Eco-sensitive Zone and adhere to prohibited and regulated activities listed in the Table in paragraph 4 and also ensure and promote eco-friendly development for livelihood security of local communities.
(8) The Zonal Master Plan shall be co-terminus with the Regional Development Plan.
(9) The Zonal Master Plan so approved shall be the reference document for the Monitoring Committee for carrying out its functions of monitoring in accordance with the provisions of this notification.

3. **Measures to be taken by State Government.-** The State Government shall take the following measures for giving effect to the provisions of this notification, namely:-

1. Landuse.- (a) Forests, horticulture areas, agricultural areas, parks and open spaces earmarked for recreational purposes in the Eco-sensitive Zone shall not be used or converted into areas for commercial or industrial activities:

Provided that the conversion of agricultural and other lands, for the purpose other within the Eco-sensitive Zone may be permitted on the recommendation of the Monitoring Committee, and with the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of Central/State Government as applicable and vide provisons of this Notification, to meet the residential needs of the local residents, and for activities such as.-

(i) widening and strengthening of existing roads and construction of new roads;
(ii) construction and renovation of infrastructure and civic amenities;
(iii) small scale industries not causing pollution;
(iv) cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stay; and
(v) promoted activities given in paragraph 4:

Provided further that no use of tribal land shall be permitted for commercial and industrial development activities without the prior approval of the competent authority under the relevant State laws and other rules and regulations of State Government and without compliance of the provisions of article 244 of the Constitution or the law for the time being in force, including the Scheduled Tribes and other Traditional Forest Dwellers (Recognition of Forest Rights) Act, 2006 (2 of 2007):

Provided also that any error appearing in the land records within the Eco-sensitive Zone shall be corrected by the State Government, after obtaining the views of Monitoring Committee, once in each case and the correction of said error shall be intimated to the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change:
Provided also that the correction of error shall not include change of land use in any case except as provided under this sub-paragraph:

(b) Efforts shall be made to reforest the unused or unproductive agricultural areas with afforestation and habitat and biodiversity restoration activities.

(2) Natural water bodies.- The catchment areas of all natural springs, rivers and channels shall be identified and plans for their conservation and rejuvenation shall be incorporated in the Zonal Master Plan.

(3) **Tourism/ Eco-tourism.-**
(a) All new Eco-tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be as per the Tourism Master Plan for the Eco-sensitive Zone.
(b)The Eco-tourism Master Plan shall be prepared by the State Department of Tourism in consultation with State Departments of Environment and Forests.
(c) The Tourism Master Plan shall form a component of the Zonal Master Plan.
(d) The activities of Eco-tourism shall be regulated as under, namely:-
(i) no new construction of hotels and resorts shall be permitted within one kilometer from the boundary of the Pocharam Wildlife Sanctuary or upto the extent of the Eco-sensitive Zone whichever is nearer and beyond the distance of one kilometer from the boundary of the Wildlife Sanctuary till the extent of the Eco-sensitive Zone, the establishment of new hotels and resorts shall be allowed only in pre-defined and designated areas for Eco-tourism facilities as per Tourism Master Plan.

(ii) All new tourism activities or expansion of existing tourism activities within the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the guidelines issued by the Central Government in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change and the eco-tourism guidelines issued by the National Tiger Conservation Authority (as amended from time to time) with emphasis on eco-tourism, eco-education and eco-development and base on carrying capacity study of the Eco-sensitive Zone;
(iii) Till the Zonal Master Plan is approved, development for tourism and expansion of existing tourism activities shall be permitted by the concerned regulatory authorities based on the actual site specific scrutiny and recommendation of the

Monitoring Committee and no new hotel /resort or commercial establishment construction is permitted within Eco-sensitive Zone area.

(4) Natural Heritage.- All sites of valuable natural heritage in the Eco-sensitive Zone, such as the gene pool reserve areas, rock formations, waterfalls, springs, gorges, groves, caves, points, walks, rides, cliffs, etc. shall be identified and a heritage conservation plan shall be drawn up for their preservation and conservation as a part of the Zonal Master Plan.

(5) Man-made heritage sites.- Buildings, structures, artefacts, areas and precincts of historical, architectural, aesthetic, and cultural significance shall be indentified in the Eco-sensitive Zone and heritage conservation plan for their conservation shall be prepared as part Zonal Master Plan.

(6) Noise pollution.- Prevention and control of noise pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with Noise Pollution (Regulation And Control) Rules, 2000 under the Environment (Protection) Act, 1986.

(7) Air pollution.- Prevention and control of air pollution in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the provisions of the Air (Prevention and Control of Pollution) Act, 1981 (14 of 1981) and rules made thereunder.

(8) Discharge of effluents.- Discharge of treated effluent in the Eco-sensitive Zone shall be in accordance with the provisions of the General Standards for Discharge of Environmental Pollutants covered under the Environmental (Protection) Act, 1986 and rules made thereunder or standards stipulated by State Government.

(9) Solid wastes.- Disposal and management of solid wastes shall be as under:-

(a) the solid waste disposal and management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Solid Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number S.O. 1357 (E), dated the 8th April, 2016;

the inorganic material may be disposed in an environmental acceptable manner at site identified outside the Eco-sensitive Zone;

(b)no burning or incineration of solid wastes and establishment of landfills shall be permitted in the Eco-sensitive Zone.

(10) Bio-medical waste.- Bio medical waste management shall be as under:-

(a) the bio-medical waste disposal in the Eco-sensitive Zone shall be carried out in accordance with the Bio-Medical Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number GSR 343 (E), dated the 28th March, 2016.

(b)no common treatment facility or incineration shall be permitted within the Eco Sensitive Zone.

(11) Plastic waste management.- The plastic waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Plastic Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 340(E), dated the 18th March, 2016.

(12) Construction and demolition waste management.- The construction and demolition waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the Construction and Demolition Waste Management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change vide notification number G.S.R. 317(E), dated the 29th March, 2016.

(13) E-waste.- The e- waste management in the Eco-sensitive Zone shall be carried out as per the provisions of the e-waste management Rules, 2016 published by the Government of India in the Ministry of Environment, Forest and Climate Change.

(14) Vehicular traffic.- The vehicular movement of traffic shall be regulated in a habitat friendly manner and specific provisions in this regard shall be incorporated in the Zonal Master Plan and till such time as the Zonal Master plan is prepared and approved by the Competent Authority in the State Government, the Monitoring Committee shall monitor compliance of vehicular movement under the relevant Acts and the rules and regulations made thereunder.

(15) Vehicular pollution.- Prevention and control of vehicular pollution shall be carried out in accordance with applicable laws and the efforts shall be made for use of cleaner fuel for example CNG, etc.

(16) Industrial units.- (i) No new polluting industries shall be permitted to be set up within the Eco-sensitive Zone.

(ii) only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification.

(17) Protection of hill slopes.- The protection of hill slopes shall be as under:-

(a) the Zonal Master Plan shall indicate areas on hill slopes where no construction shall be permitted;
(b) no construction on existing steep hill slopes or slopes with a high degree of erosion shall be permitted.

4. List of activities prohibited or to be regulated within Eco-sensitive Zone.-

All activities in the Eco sensitive Zone shall be governed by the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and the rules made there under including the Coastal Regulation Zone (CRZ), 2011 and the Environmental Impact Assessment (EIA) Notification, 2006 and other applicable laws including the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Indian Forest Act, 1927 (16 of 1927), the Wildlife (Protection) Act 1972 (53 of 1972), and amendments made thereto, and be regulated in the manner specified in the Table below, namely:-

TABLE

S. No.	Activity	Description
(1)	(2)	(3)
	A. Prohibited Activities	
1.	Commercial mining, stone quarrying and crushing units.	(a) New (minor and major minerals), stone quarrying and crushing units shall be prohibited except for meeting the domestic needs of bona fide local residents including digging of earth for construction or repair of houses and for manufacture of country tiles or bricks for housing for personal consumption. (b) The mining operations shall be carried out in accordance with the order of the Hon'ble Supreme Court dated 04th August, 2006 in the matter of T.N. Godavarman Thirumulpad Vs. UOI in W.P.(C) No.202 of 1995 and dated 21st April, 2014 in the matter of Goa Foundation Vs. UOI in W.P.(C) No.435 of 2012.
2.	Setting of industries causing pollution (water, air, soil, noise, etc.).	(a) No new industries or expansion of existing polluting industries in the Eco-sensitive zone shall be permitted. (b) Only non-polluting industries may be permitted within Eco-sensitive Zone as per classification of Industries in the guidelines issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016, unless otherwise specified in this notification.
3.	Establishment of major hydroelectric project.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
4.	Use or production or processing of any hazardous substances.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
5.	Discharge of untreated effluents in natural water bodies or land area.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws.
6.	Establishment of solid waste disposal site and common incineration facility for solid and bio-medical waste.	No new solid waste disposal site and waste treatment/processing facility of solid waste shall be permitted within the Eco-sensitive zone, and installation of common or individual incineration facility for treatment of any form of solid waste generated from industrial process and health establishment, hospitals, etc. shall be prohibited.
7.	Establishment of large-scale commercial livestock and poultry farms by firms, companies, etc.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws except for meeting local needs.
8.	Setting of new saw mills.	No new or expansion of existing saw mills shall be permitted within the Eco-sensitive Zone.
9.	Setting up of brick kilns.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
10.	Use of polythene bags.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
11.	Commercial use of firewood.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws
12.	New wood based industry.	Prohibited (except as otherwise provided) as per applicable laws

B. Regulated Activities		
13.	Commercial establishment of hotels and resorts.	No new commercial hotels and resorts shall be permitted within one kilometre of the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, except for small temporary structures for eco-tourism activities: Provided that, beyond one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto the extent of Eco-sensitive zone, whichever is nearer, all new tourist activities or expansion of existing activities shall be in conformity with the Tourism Master Plan and guidelines as applicable.
14.	Construction activities.	(a) No new commercial construction of any kind shall be permitted within one kilometre from the boundary of the Protected Area or upto extent of the Eco-sensitive Zone, whichever is nearer: Provided that, local people shall be permitted to undertake construction in their land for their use including the activities listed in sub paragraph (1) of paragraph 3 as per building byelaws to meet the residential needs of the local residents: (i) Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads; (ii) Construction and renovation of infrastructure and civic amenities; (iii) Small scale industries not causing pollution termed as per Classification done by Central Pollution Control Board of February 2016; (iv) Cottage industries including village industries; convenience stores and local amenities supporting eco-tourism including home stays; and (v) Promoted activities listed in this Notification. Provided that the construction activity related to small scale industries not causing pollution shall be regulated and kept at the minimum, with the prior permission from the competent authority as per applicable rules and regulations, if any. (b) Beyond one kilometre it shall be regulated as per the Zonal Master Plan.
15.	Small scale non polluting industries.	Non polluting industries as per classification of industries issued by the Central Pollution Control Board in February, 2016 and non-hazardous, small-scale and service industry, agriculture, floriculture, horticulture or agro-based industry producing products from indigenous materials from the Eco-sensitive Zone may be permitted by the Competent Authority.
16.	Felling of trees.	(a) There shall be no felling of trees on the forest or Government or revenue or private lands without prior permission of the Competent Authority in the State Government. (b) The felling of trees shall be regulated in accordance with the provisions of the concerned Central or State Acts and the rules made thereunder.
17.	Collection of Forest Produce or Non-Timber Forest Produce (NTFP).	Regulated under applicable laws.
18.	Erection of electrical and communication towers and laying of cables and other infrastructures .	Regulated under applicable laws (Underground cabling may be promoted).
19.	Infrastructure including civic amenities.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulation and available guidelines.

20.	Widening and strengthening of existing roads and construction of new roads.	Shall be done with mitigation measures, as per applicable laws, rules and regulations and available guidelines.
21.	Under taking other activities related to tourism like over flying the Eco-sensitive Zone area by hot air balloon, helicopter, drones, Microlites, etc.	Regulated under applicable laws.
22.	Protection of hill slopes and river banks	Regulated under applicable laws.
23.	Movement of vehicular traffic at night.	Regulated for commercial purpose under applicable laws.
24.	Ongoing agriculture and horticulture practices by local communities along with dairies, dairy farming, aquaculture and fisheries.	Permitted under applicable laws for use of locals.
25.	Discharge of treated waste water/effluents in natural water bodies or land area.	The discharge of treated waste water/effluents shall be avoided to enter into the water bodies and efforts shall be made for recycle and reuse of treated waste water, and the discharge of treated waste water/effluent shall be regulated as per applicable laws.
26.	Commercial extraction of surface and ground water.	Regulated under applicable laws.
27.	Open well, bore well, etc. for agriculture or other usage.	Regulated under applicable laws and the activity shall be monitored by the concerned.
28.	Solid waste management.	Regulated under applicable laws.
29.	Introduction of Exotic species.	Regulated under applicable laws.
30.	Eco-tourism	Regulated under applicable laws.
31.	Commercial sign boards and hoardings.	Regulated under applicable laws.
	C. Promoted Activities	
32.	Rain water harvesting.	Shall be actively promoted.
33.	Organic farming.	Shall be actively promoted.
34.	Adoption of green technology for all activities.	Shall be actively promoted.
35.	Cottage industries including village artisans, etc.	Shall be actively promoted.
36.	Use of renewable energy and fuels.	Bio gas, solar light, etc. to be actively promoted.
37.	Agro-forestry.	Shall be actively promoted.
38.	Use of eco-friendly transport.	Shall be actively promoted.
39.	Skill Development.	Shall be actively promoted.
40.	Restoration of degraded land/ forests/ habitat.	Shall be actively promoted.
41.	Environmental awareness.	Shall be actively promoted.

5. Monitoring Committee.- (1) In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986), the Central Government hereby constitutes a Monitoring Committee for a period of three years, for effective monitoring of the Eco-sensitive Zone, which shall comprise of, namely:-

(a) District Collector, Nizamabad - Chairman;
(b) representative of District Collector, Medak – Member ;
(b) one representative of Non Governmental Organisation working in the field of environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of three years in each case - Member;
(c) one expert in the area of ecology and environment to be nominated by the Government of Telangana for a term of three years in each case -Member ;
(d) Regional Officer, State Pollution Control Board – Member;
(e) Senior Town Planner of the area/Chief Urban Planner/City Planner – Member;
(f) Divisional Forest Officer (Territorial) Medak – Member ;
(g) Divisional Forest Officer (Territorial) Nizambad – Member ;
(f) Member, State Biodiversity Board -Member;
(g) Divisional Forest Officer, Wildlife management, Medak and District Wildlife Warden Medak – Member Secretary.

6. Terms of Reference.-

(1) The tenure of the Monitoring Committee shall be for a period of three years.

(2) The Monitoring Committee shall monitor the compliance of the provisions of this notification.

(3) The activities that are covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006, and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change for prior environmental clearances under the provisions of the said notification.

(4) The activities that are not covered in the Schedule to the notification of the Government of India in the erstwhile Ministry of Environment and Forests number S.O. 1533 (E), dated the 14th September, 2006 and are falling in the Eco-sensitive Zone, except for the prohibited activities as specified in the Table under paragraph 4 thereof, shall be scrutinised by the Monitoring Committee based on the actual site-specific conditions and referred to the concerned Regulatory Authorities.

(5) The Member Secretary of the Monitoring Committee or the concerned Collector(s) or the concerned park Deputy Conservator of Forests shall be competent to file complaints under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986 against any person who contravenes the provisions of this notification.

(6) The Monitoring Committee may invite representatives or experts from concerned Departments, representatives from Industry Associations or concerned stakeholders to assist in its deliberations depending on the requirements on issue to issue basis.

(7) The Monitoring Committee shall submit the annual action taken report of its activities as on 31st March of every year by 30th June of that year to the Chief Wildlife Warden of the State as per pro forma appended at **Annexure IV**.

(8) The Central Government in the Ministry of Environment, Forests and Climate Change may give such directions, as it deems fit, to the Monitoring Committee for effective discharge of its functions.

7. The Central Government and State Government may specify additional measures, if any, for giving effect to provisions of this notification.

8. The provisions of this notification shall be subject to the orders, if any, passed, or to be passed, by the Hon'ble Supreme Court of India or the High Court or National Green Tribunal.

[F. No. 25/60/2014-ESZ]

LALIT KAPUR, Scientist 'G'

Annexure I

Boundary description of Eco-sensitive Zone:

A to B: The boundary of Eco-Sensitive Zone starts at point A from station 1 starts from North-West corner of the Mothe village boundary of Lingampet Mandal of Nizamabad district with Lat. – Long. – 18.31718 – 78.16117 and it runs towards Eastern direction and goes by touching the north side of Mothe tank then it pass through station no.2 and 3 and the boundary turn towards North direction along the station nos.4 and 5, then it touches the village boundary of Pedda Demi, then it pass towards South – East direction along the Station no.7and8, then it runs southern side station no.9,10,11and12 along the boundary line of the Yerrapahad, Nandiwada villages and reaches to bio-junction of Nandiwada and Chityal village then it runs Eastern side with stations 13 and 14 and turn towards Southern side of village boundary of Chityal along the station no.15 and reaches station no.16 it is the tri-junction point of Chityal, Santaipet, Argonda villages. Then it turns towards Eastern direction passes through station nos.17, 18 and 19 and reaches station no.20 of Tadmadla and Argonda bi-junction then it pass through Easter direction along the boundary line of Peddaipally – Talamadla village boundary and reaches station no.22 of village sivar of Talamadla at point 'B'.

B to C: From station no.22 of point – B, the zone boundary line starts towards Southern direction which is parallel to railway track by leaving the distance of 500 mtrs. from railway track and it runs along the southern direction by connecting station nos.23,24,25,26 and 27 and meets the station no.28 of Tippapur village boundary and its connects the Reserve Forest of Bhiknoor and again it runs towards southern direction passing through the Reserve Forest and meets station at 29, which is the District boundary of Nizamabad and Medak Districts. From the station no.29, the zone starts along the village boundary of Katriyal of Medak district towards southern side connecting station no.30 and 31 and further from station no.31 the boundary line starts village boundary of Laxmapur runs towards eastern direction and turns towards southern direction by connecting station nos.33 and 34 which is the point – C and it is the bi-junction point of Laxmapur and Shamnapur villages.

C to D: From station no.34 of point – C, the boundary line runs towards western direction along the village of Shamnapur connecting the station No.35 and 36 then it turns slightly towards south-west direction and it crosses the Medak – Ramayampet PWD Road and it connects station No.38 and further runs it towards along the village boundary of Aurangabad and Madulwai and connecting station no.39and40, then it runs along the village boundary line of Kuchanpally village connecting station no.40, 41 and reaches station no.42 which is the tank location of Kuchanpally, Further from station no.42 the line runs towards western direction along the Kuchanpally, Fareedpur and Sardana village boundaries and from Station no.43 the line runs along the pasupuleru vagu by connecting station nos.44, 45, 46, 47 and reaches point – D on Medak – Nizamabad District boundary.

D to A: From station no.47 of point 'D' the line runs towards northern side in zig-zag manner connecting station no.48 to 57 along the village boundaries of Pocharam, Vadalparthy of Nagireddypet Mandal the line touches the R.F. block Polkampet at station no.58 it runs towards zig-zag manner towards northern direction from station no.59 to 63 passes through Polkampet and Ramaipally Reserve Forest Blocks along the village boundaries of Polkampet, Kannapur and Pothaipally. Then it runs towards northern direction in zig-zag manner from station no.63 to 65 and by crossing the PWD Road of Yellareddy to kamareddy in between station no.64 and 65 and it touches the Reserve Forest Yellareddy and goes further from station no.66 to 72 and finally it reaches station no.1 of point 'A' of Mothe village along the village boundaries of Lingampally, Yellaram and Mothe.

Annexure II

List of villages falling within the Eco-sensitive Zone

S.NO.	VILLAGE NAME	MANDAL	DISTRICT	Latitude	Longitude
1	Mothe	Nagireddypet	Nizamabad	18.31718	78.16117
2	Peddademi	Lingampet	Nizamabad	18.32503	78.21225
3	Yerrapahad	Tadwai	Nizamabad	18.29285	78.21945
4	Nandiwada	Tadwai	Nizamabad	18.27661	78.21398
5	Chityal	Lingampet	Nizamabad	18.25878	78.25007
6	Santhaipet	Tadwai	Nizamabad	18.23826	78.24616
7	Argonda	Tadwai	Nizamabad	18.22977	78.28092
8	Peddaipally	Bikhnoor	Nizamabad	18.23498	78.32584

9	Talamadla	Bhiknoor	Nizamabad	18.22698	78.35394
10	Tippapur	Bhikhnoor	Nizamabad	18.19468	78.36467
11	Dantepally	Ramayampet	Medak	18.18578	78.33110
12	Parvatapur	Ramayampet	Medak	18.15073	78.32715
13	Katriyal	Ramayampet	Medak	18.15023	78.35109
14	Gangapur	Ramayampet	Medak	18.12507	78.32162
15	Laxmapur	Medak	Medak	18.12955	78.36373
16	Shamnapur	Medak	Medak	18.10824	78.31720
17	Bathole	Medak	Medak	18.12008	78.29287
18	Lingsanpally	Medak	Medak	18.11103	78.28218
19	Timmaipally	Medak	Medak	18.12159	78.28275
20	Nagapur	Medak	Medak	18.12526	78.26101
21	Sultanpur	Medak	Medak	18.11394	78.25297
22	Aurangabad	Medak	Medak	18.07822	78.27004
23	Togita	Medak	Medak	18.07657	78.24816
24	Madulwai	Medak	Medak	18.06838	78.24526
25	Dewan Kuchanpally	Medak	Medak	18.07216	78.23279
26	Sardana	Medak	Medak	18.08376	78.17729
27	Jakkannapet	Medak	Medak	18.10051	78.19386
28	Pocharam	Nagireddypet	Nizamabad	18.11559	78.16962
29	Vadalparthy	Nagireddypet	Nizamabad	18.13914	78.15426
30	Waadi	Medak	Medak	18.15422	78.21683
31	Rajpet	Medak	Medak	18.15091	78.18984
32	Burugupally	Medak	Medak	18.13915	78.21670
33	Kothapally	Medak	Medak	18.16562	78.17202
34	Siddapur	Tadwai	Nizamabad	18.16488	78.24160
35	Gundaram	Tadwai	Nizamabad	18.17156	78.25141
36	Kondapuram	Tadwai	Nizamabad	18.19167	78.27931
37	Pocharam	Nagireddypet	Nizamabad	18.11559	78.16962
38	Vadalparthy	Nagireddypet	Nizamabad	18.13914	78.15426
39	Polkampet	Lingampet	Nizamabad	18.17687	78.16328
40	Kannapur	Lingampet	Nizamabad	18.19591	78.16245
41	Potaipally	Lingampet	Nizamabad	18.22887	78.18184

Annexure III

Map of Eco-sensitive Zone boundary together with latitudes –longitudes

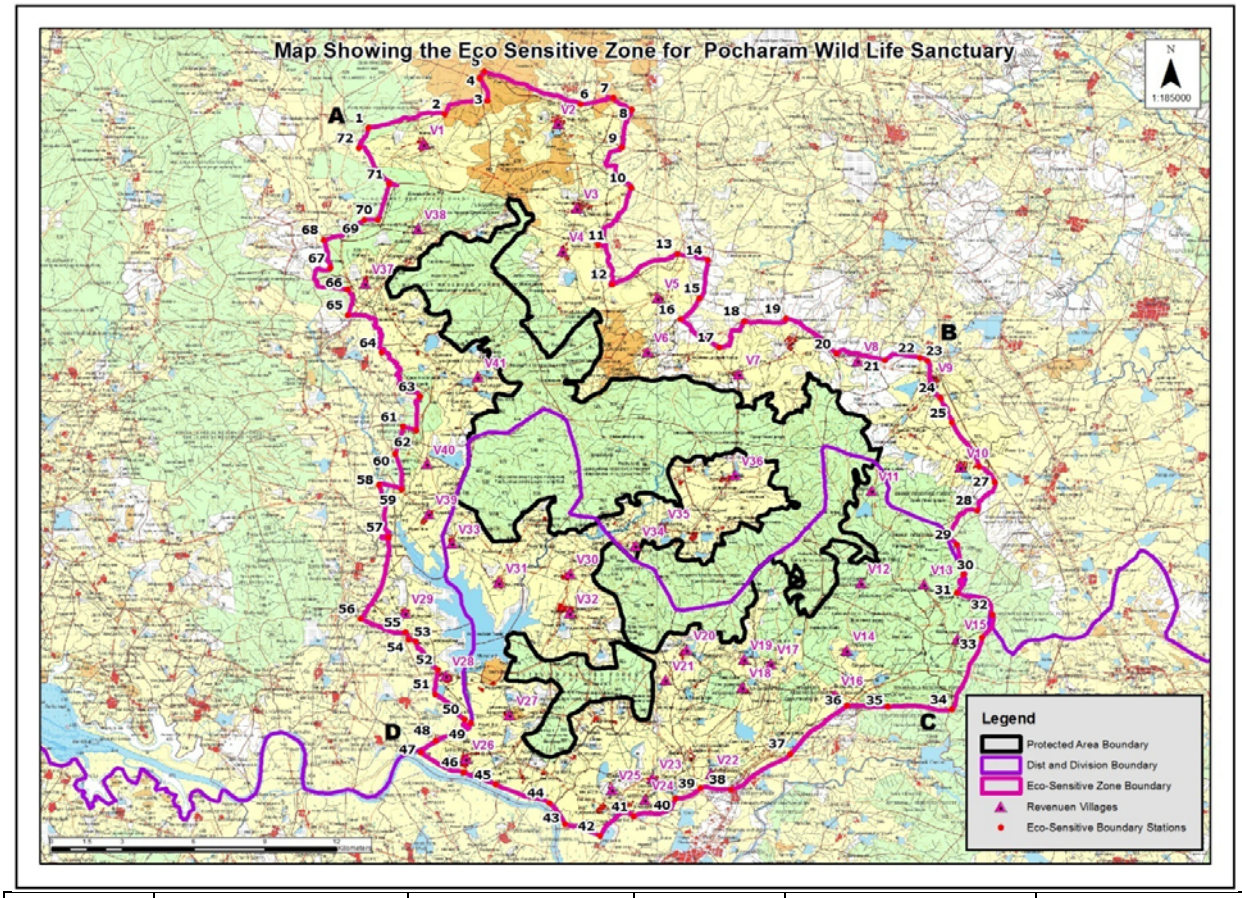

Sl. No.	Latitude	Longitude	Sl. No.	Latitude	Longitude
1	18.32329	78.14046	49	18.09758	78.17935
2	18.32859	78.16960	50	18.09892	78.17709
3	18.33357	78.18575	51	18.10843	78.16582
4	18.34231	78.18275	52	18.11774	78.16699
5	18.34471	78.18462	53	18.12835	78.15863
6	18.33243	78.22112	54	18.12898	78.15588
7	18.33463	78.23356	55	18.13197	78.15482
8	18.33030	78.24060	56	18.13708	78.13752
9	18.31582	78.23673	57	18.16800	78.14813
10	18.30061	78.24020	58	18.18790	78.14458
11	18.27888	78.22767	59	18.18613	78.15320
12	18.26390	78.23312	60	18.19964	78.15064
13	18.27560	78.25776	61	18.20996	78.15364
14	18.27309	78.26917	62	18.20860	78.15871
15	18.25870	78.26615	63	18.22136	78.16032
16	18.25071	78.25883	64	18.23806	78.14555
17	18.24001	78.27361	65	18.25235	78.13284
18	18.24999	78.28328	66	18.26201	78.13274
19	18.25096	78.29890	67	18.27021	78.12610
20	18.23760	78.31798	68	18.28085	78.12367
21	18.23519	78.33652	69	18.28838	78.13898

22	18.23450	78.36218	70	18.28850	78.14407
23	18.22866	78.37097	71	18.30212	78.14841
24	18.21229	78.36559	72	18.31573	78.13703
25	18.21505	78.37837			
26	18.20630	78.38699			
27	18.19212	78.37945			
28	18.17812	78.37142			
29	18.16527	78.36372			
30	18.15379	78.36621			
31	18.14684	78.36362			
32	18.13861	78.37730			
33	18.12995	78.37313			
34	18.10257	78.36186			
35	18.10379	78.33758			
36	18.10408	78.32197			
37	18.08587	78.30062			
38	18.07231	78.27814			
39	18.07282	78.26649			
40	18.06890	78.25706			
41	18.06209	78.24107			
42	18.05462	78.22836			
43	18.05908	78.21513			
44	18.06720	78.20924			
45	18.07413	78.18906			
46	18.07885	78.17661			
47	18.08632	78.16050			
48	18.09091	78.16613			

Annexure IV

Proforma of Action Taken Report: - Eco-sensitive Zone Monitoring Committee.-

1. Number and date of meetings.
2. Minutes of the meetings: Mention main noteworthy points. Attached minutes of the meeting on separate Annexure.
3. Status of preparation of Zonal Master Plan including Tourism Master Plan.
4. Summary of cases dealt for rectification of error apparent on face of land record.
   Details may be attached as Annexure
5. Summary of cases scrutinised for activities covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
6. Summary of case scrutinised for activities not covered under the Environment Impact Assessment Notification, 2006. Details may be attached as separate Annexure.
7. Summary of complaints ledged under section 19 of the Environment (Protection) Act, 1986.
8. Any other matter of importance.

RAKESH SUKUL Digitally signed by RAKESH SUKUL Date: 2017.05.29 19:49:02 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.